receipt
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT
RATANGARH FORT
RATANGARH
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT

Fee Sr. No. : 2015000162 Dated : 21/01/2015
Presenter Name : VINOD KUMAR SONI ADV.
Face Value :
Presenter Address : CHURU
Document Type : Only Cash Receipt
Document S.No. : 999 Stamp Value : 10

Ordinary Registration Fee	: 0	Commission Fee	: 0
Copy/Scanning/Inspaction Fee	: 0	Custody Fee	: 0
Fee for Memorandom u/s 64-67	: 0	Miscellaneous Fee	: 0
Certified Copying Fee u/s 57	: 100	Stamp Duty Cash	: 0
Surcharge on Stamp Duty	: 0		
Late Fee u/s 25-34	: 0		

TOTAL : 100

-----Already Paid-----
E-Stamp No : / Amount : 0

(Paid) - DD No. : / Amount : 0
DD Drawn Bank : /

(Paid) - EGRAS GRN No. : 4783216 / Amount : 100
Deposit Bank : SBBJ RATANGARH / Date : 21/01/2015

(Paid) - E-Stamp Id No. : / Amount : 0
E-Stamp Date :

(Paid) - Cash Recpt No. : / Amount : 0
Date :

Amount Rs. One Hundred only

Cashier

Sub Registrar, RATANGARH

उप पंजीयक
पंजीयन एवं मुद्रांक
रतनगढ़

75

कार्यालय नगरपालिका मण्डल राजलदेसर (चूरू)

क्रमांकः

दिनांकः06.01.2015

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम,2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

::पट्टा–विलेख::

प

नियमन शुल्क	670894.00
विकास शुल्क	405000.00
पर्यावरण शुल्क	2422.00
दो वर्ष की लीज राशि	66847.00
योग	1145163.00
स्टाम्प शुल्क	57300.00

यह विलेख आज दिनांक **06.01.2015** को **नगरपालिका मण्डल राजलदेसर** (जिन्हे इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया हैं) प्रथम पक्ष एवं श्री नवीन पारख पुत्र श्री नवरतन पारख निवासी श्री डूंगरगढ जिला बिकानेर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया हैं) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैस अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे।) के मध्य निष्पादित हुआ हैं।

यह विलेख साक्ष्याकित करता हैं कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा रसीद स. **13/13** दिनांक **05.01.2015** द्वारा रूपये 1277800.00 अदा कर दी गई हैं। व **आवेदन पत्र के साथ रसीद न. 04/36 दिनांक 67820.00 रूपये का चैक द्वारा कुल राशि 1345700.00 अदा की गई है।** और जिसकी प्राप्ति नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं, और इसमें उल्लेखित शर्तो और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया हैं।) प्रदान और लीज करती हैं जो , **राजलदेसर की पैराफैरी में खसरा नं 486 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा कृषि भूमि में से 2422 वर्गगज भूमि के लगभग** हैं, और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ठ में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित हैं तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में **लाल रंग** में दिखाया गया हैं, ओर जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्न लिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणो, प्रतिबन्धों, बन्धनों, शर्तें और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :–

Naveen Pareek
पट्टे धारी के हस्ताक्षर

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका राजलदेसर

पार्वती
अध्यक्ष
नगरपालिका राजलदेसर
अध्यक्ष
नगर पलिका, राजलदेसर

प्रमाणित प्रतिलिपि
उप पंजीयक
पंजीयन एवं मुद्रांक, रतनगढ़

उप पंजीयक
पंजीयन एवं मुद्रांक
रतनगढ़

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उपनियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो इस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती हैं, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फल स्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छुट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। पट्टेकर्ता द्वारा दिनांक **05.01.2015** के द्वारा आठ वर्षीय एक मुश्त लीज जमा करवाई जा चुकी है। अतः 99 वर्षीय लीज राशि अदा करने से मुक्त किया जाता है।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण यथा स्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :– पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल **वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प)** प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी हैं, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टाविलेख की तारीख से 7 वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम – 26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा उक्त भूखण्ड पर भवन का निर्माण करवाया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भू–खण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपलब्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित अन्तरिती या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागु होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भू–खण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया हैं या अन्तरित किया गया हैं। लीज धारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जावेगी। किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।

Naveen Porwal
पट्टे धारी के हस्ताक्षर

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका राजलदेसर
अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका राजलदेसर

पार्वती
अध्यक्ष
नगरपालिका राजलदेसर
अध्यक्ष
नगर पालिका, राजलदेसर

प्रमाणित प्रतिलिपि
उप पंजीयक
पंजीयन एवं मुद्रांक, रतनगढ़

आज दिनांक 7 माह January सन् 2015 को 13:30 बजे
श्री / श्रीमती / सुश्री NAVEEN PARAKH पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री NAVRATAN PARAKH
उम्र 33 वर्ष, जाति PARAKH व्यवसाय BUSS
निवासी SHRIDUNGGARGARH
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

Naveen

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता हस्ताक्षर उप पंजीयक, RATANGARH
(2015000098)
(Lease deed for local bodies (Patta))

उप पंजीयक
पंजीयन एवं मुद्रांक
रतनगढ़

रसीद नं0 2015000052 दिनांक 07/01/2015
पंजीयन शुल्क रू0 11460 / —
प्रतिलिपि शुल्क रू0 300 / —
पृष्ठांकन शुल्क रू0 0 / —
अन्य शुल्क रू0 5880 / —
कमी स्टाम्प शुल्क रू0 7260 / —
कुल योग रू0 24900 / —

(2015000098) उप पंजीयक, RATANGARH
(Lease deed for local bodies (Patta))

उप पंजीयक
पंजीयन एवं मुद्रांक
रतनगढ़

प्रमाणित प्रतिलिपि
उप पंजीयक
पंजीयन एवं मुद्रांक, रतनगढ़

कॉलोनी का नाम	मास्टर प्लान का ग्रामीण क्षेत्र
ले–आउट प्लान में भूखण्ड संख्या	खसरा संख्या 486 में 2422 वर्गगज
भू–स्वामी का नाम	श्री नवीन पारख पुत्र नवरतन पारख वास्ते पेट्रोल पम्प

7. उक्त भू–खण्ड के अन्तरण के मामले में, नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ 20 प्रतिवर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त कि जायेगी परन्तु लीज धारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधिन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीज धारक के रूप में वसूलीय होगा।
9. यदि आबंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात यह पाया जाता हैंकि आंबटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपट पूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्रगाप्त किया गया हैं या आबंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया हैं। नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहंत करेगा जो सभी प्रकारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एचडीएफसी अथवा नैशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।
11. राज्य सरकार/प्रथम पक्ष द्वारा समय समय पर जारी दिशा–निर्देशों की पालना के लिए द्वितीय पक्ष पाबन्द रहेगा।
12. उक्त पट्टा वरिष्ठ नगर नियोजक विभाग बीकानेर की अभिशंषा पश्चात नगरपालिका मण्डल की ले–आउट प्लान कमेटी के निर्णय दिनांक 31.10.2014 के अनुसार सम्पूर्ण राशि **1345700.00** रूपये नगरपालिका कोष में जमा करवाई जा चुकी है।
13. वरिष्ठ नगर नियोजक विभाग बीकानेर के पत्रांक वीकेजेड/1733/पेट्रोल पम्प/राजलदेसर/1701 दिनांक 07.10.2014 द्वारा दी गई तकनीकी राय के अनुसार पालना करने के लिए प्रथम पक्ष बाध्यकारी होगें। पत्र की प्राप्ति संलग्न है।

Naveen Parakh
पट्टे धारी के हस्ताक्षर

6/1/15
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका राजलदेसर
अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका राजलदेसर

पार्वती
अध्यक्ष
नगरपालिका राजलदेसर
नगर पालिका, राजलदेसर

उप पंजीयक
पंजीयन एवं मुद्रांक
रतनगढ़

प्रमाणित प्रतिलिपि
उप पंजीयक
पंजीयन एवं मुद्रांक, रतनगढ़

हस्ताक्षर फोटो अंगूठा

उक्त श्री / श्रीमती / सुश्री (Executant)
1-NAVEEN PARAKH/NAVRATAN PARAKH
Age:33, Caste-PARAKH
Ocu.-BUSS
R/O-SHRIDUNGGARGARH

ने लेखपत्र Lease deed for local bodies (Ratta)
को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।
प्रतिफल राशी रू0 1145163/-- पूर्व में / मेरे
समक्ष / मे से रू0 1145163/--पूर्व में ---------
यमेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान
1. श्री / श्रीमती / सुश्री DALEEPSINGH
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री VIJAYSINGH उम्र 22 वर्ष
जाति RAJPUT व्यवसाय MAZDURI
निवासी RAJALDESAR

2. श्री / श्रीमती / सुश्री MOHIT
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री RANJEET उम्र 35 वर्ष
जाति OSHWAL व्यवसाय MAZDURI
निवासी RAJGARH से की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

(2015000098)
(Lease deed for local bodies (Ratta))

उप पंजीयक RATANGARH
पंजीयन एवं मुद्रांक
रतनगढ़

प्रमाणित प्रतिलिपि
उप पंजीयक
पंजीयन एवं मुद्रांक, रतनगढ़

भूखण्ड का विवरण (मानचित्र संलग्न है)

कॉलोनी का नाम – **राजलदेसर**		
वार्ड संख्या – मास्टर प्लान में पेराफैरी ग्रामीण क्षेत्र		
खसरा नं0 – **486**		
चतुर्दिक सीमाएं		
उत्तर	नेशनल हाई वे सड़क	45 मीटर
दक्षिण	स्वयं की खातेदारी भूमि	45 मीटर
पूर्व	स्वयं की खातेदारी भूमि	45 मीटर
पश्चिम	स्वयं की खातेदारी भूमि	45 मीटर
क्षेत्रफल	**2025 वर्गमीटर**	

– नजरी नक्शा – छ

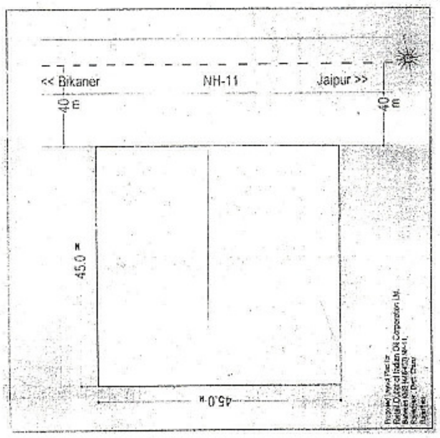

इसके साक्षी के रूप में फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों पर और तारीखों पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज दिनांक **05.01.2015** दिन श्रीमती **पार्वती देवी मेघवाल अध्यक्ष** एवं श्री **श्री सुरेश कुमार वर्मा; अधिशाषी अधिकारी** ने निम्न की उपस्थिति में (राजलदेसर) हस्ताक्षर किए।	पार्वती **अधिशाषी अधिकारी** **नगर पालिका राजलदेसर** **अध्यक्ष** **नगर पालिका राजलदेसर**
साक्षी :– 1. नामः– नानूराम सूनिया पुत्रः– स्व. श्री पीथाराम सूनिया व्यवसायः– सेवानिवृत राजस्व निरीक्षक (संविदा कर्मी) निवास स्थानः– राजलदेसर	साक्षी के हस्ताक्षर
2. नामः– श्री विमलकुमार पुत्रः– श्री प्रभूदयाल पंवार व्यवसायः– कार्यवाहक लिपिक/ऑपरेटर नगर पालिका राजलदेसर निवास स्थानः– राजलदेसर	साक्षी के हस्ताक्षर
आज सन् **2015** के माह **01** के **05** वे दिन **श्री नवीन पारख पुत्र नवरतन पारख** ने निम्न की उपस्थिति में (राजलदेसर) हस्ताक्षर किये।	Naveen Parakh लीज धारक – द्वितीय पक्ष हस्ताक्षर
साक्षी :– 1. नामः– दलीपसिंह पुत्रः– विजयसिंह जाति राजपूत व्यवसायः– मजदूरी निवास स्थानः– वार्ड न. 20 राजलदेसर	दलीपसिंह साक्षी के हस्ताक्षर
2. नामः– मोहित सुराणा पुत्रः– राजकुमार सुराणा जाति ओसवाल व्यवसायः– मजदूरी निवास स्थानः– वार्ड न. 15 राजलदेसर	Mohit साक्षी के हस्ताक्षर

कार्यालय नगर पालिका राजलदेसर (चूरू)

प्रमाणित प्रतिलिपि
उप पंजीयक
पंजीयन एवं मुद्रांक, रतनगढ़

उप पंजीयक
पंजीयन एवं मुद्रांक
रतनगढ़

भाग प्रार्थी....विनोद कुमार Adv.
प्रा.पत्र क्रम ....02.......दिनांक...21.1.15
पेश दी....इन्द्राज 162 दि. 21.1.15
प्रतिलिपि दी........
21.1.15
प्रतिलिपि दी........
तैयारी की ता........21.1.15........

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र
की मालियत रूपये 1145163
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 7260 पर कमी पंजीयन शुल्क
रूपये 11460 कुल रूपये 24900
जरिये रसीद संख्या 2015000052 दिनांक 07/01/2015
में जमा किये गये है।
अतः दस्तावेज को रूपये 57260
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

उप पंजीयक

(2015000098) उप पंजीयक, RATANGARH
(Lease deed for local bodies (Patta))
रतनगढ़

आज दिनांक 07/01/2015 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 334
में पृष्ठ संख्या 63 क्रम संख्या 2015000075 पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 902
के पृष्ठ संख्या 25 से 36 पर
चस्पा किया गया।

उप पंजीयक

(2015000098) उप पंजीयक, RATANGARH
(Lease deed for local bodies (Patta))
रतनगढ़

कार्यालय उप पंजीयक ... जिला चूरू (राज.)

प्रमाणित प्रतिलिपि
उप पंजीयक
पंजीयन एवं मुद्रांक, रतनगढ़

भारत INDIA 10

दस रुपये

TEN RUPEES

SPECIAL ADHESIVE

उप कोषाधिकारी (मूल) पुवायां

कार्यालय उप कोषाधिकारी

07 JAN 2015

पुवायां (मूल)

~~प्रबन्ध~~ दि. दिनांक 7-1-15 को प्रमाणित प्रतिलिपि

हेतु [illegible]

उप पंजीयक

पंजीयन एवं मुद्रांक

नाम मुद्रांक विक्रेता महावीरप्रसाद गौड़ अनु0प0स0 6/09
रजि0 क्रमांक 20149 दि0 20/11/18 रु0 10/-
क्रेता का नाम विनोद कुमार पिता ओमप्रकाश
जाति जोगी
तह0
हस्ताक्षर क्रेता

हस्ताक्षर मुद्रांक विक्रेता

राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग
कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन बीकानेर।

क्रमांकः–बीकेजेड़ / 1733 / पेट्रोल पम्प / राजलदेसर / 1701 दिनांकः 07/10/14

अधिशाषी अधिकारी,
नगरपालिका,
राजलदेसर(चूरू)

विषयः–श्री नवीन पारख द्वारा राजलदेसर की पैराफेरी में खसरा नं. 486 में 2 बीघा 16 बिस्वा कृषि भूमि में से 2025 वर्गमीटर भूमि के वाणिज्यिक(पेट्रोल पम्प)प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु तकनीकी राय बाबत्।

संदर्भः– आपके कार्यालय के पत्रांक 496 दिनांक 05.08.14 एवं 686 दिनांक 23.09.14 के क्रम में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आपके कार्यालय द्वारा श्री नवीन पारख राजलदेसर की पैराफेरी में खसरा नं. 486 में 2 बीघा 16 बिस्वा कृषि भूमि में से 2025 वर्गमीटर भूमि के वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन के क्रम में पत्रावली इस कार्यालय को तकनीकी राय हेतु भिजवाई गई है। प्रश्नगत भूमि राजलदेसर के मास्टर प्लान–2031 में राजलदेसर–बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 11 पर स्थित है तथा मास्टर प्लान में प्लान्टेशन बेल्ट एवं परिधि नियंत्रण पट्टी हेतु प्रावधानित है । स्थल के पेट्रोल पम्प हेतु निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने पर राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार प्लान्टेशन बेल्ट एवं नियंत्रण पट्टी में पेट्रोल पम्प अनुज्ञेय होते है । अतः पेट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु केन्द्रीय सरकार की भू–तल परिवहन मंत्रालय (मोर्थ) (Morth) द्वारा जारी एवं राज्य सरकार द्वारा अपनाये गये मापदण्डों के अनुसार संदर्भित प्रकरण में निम्नानुसार तकनीकी राय भिजवाई जा रही है :–

क्र.सं.	विवरण	मोर्थ का प्रावधान	आवेदित भूमि पर उपलब्ध पैरामीटर्स
1.	भूखण्ड का आकार,	35 मीटर गुणा 35 मीटर	आई.ओ.सी. द्वारा अनुमोदित नक्शे के अनुसार 45 मीटर गुणा 45 मीटर (पर्याप्त)
2.	निकटतम फयूल स्टेशन से दूरी	300 मीटर	300 मीटर के दायरे में कोई भी पेट्रोल पम्प संचालित नहीं है। (पर्याप्त)
3.	निकटतम इण्टर सैक्शन से दूरी	300 मीटर	300 मीटर तक कोई भी नहीं (पर्याप्त)
4.	निकटतम चैक बैरीयर/टोल प्लाजा की दूरी	1 किमी	1 किमी तक कोई भी नहीं।(पर्याप्त)

अतः प्रकरण में निम्नलिखित बिन्दुओं की पालिका स्तर पर पुनः जांच कर ही अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित होगी ।

1. प्रश्नगत भूमि सड़क के मध्य से 40 मीटर भूमि सड़क हेतु छोड़ते हुए कम्पनी द्वारा मानचित्र स्वीकृत किया गया है जिसे यथावत कायम किया जाना आवश्यक है।
2. प्रश्नगत स्थल के पास से 8 मीटर दूर 11 के.वी. की छोटी विद्युत लाईन गुजर रही है तथा 10 मीटर दूर सर्वो ऑयल एजेन्सी स्थित है । राज्य सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलात विभाग के आदेश दिनांक 5.10.2006 के क्रम में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलात विभाग से उचित राय प्राप्त कर ही अग्रिम कार्यवाही का जानी अपेक्षित होगी ।
3. पेट्रोल पम्प पर निर्माण संबंधित कम्पनी द्वारा स्वीकृत नक्शे के अनुसार सर्विस रोड आदि सहित ही किया जावेगा ।
4. भूमि की मौके पर माप, न्यायिक वाद, भू–स्वामित्व की जॉच पालिका स्तर पर की जानी अपेक्षित है।

2:13
8-10-14

प्रमाणित प्रतिलिपि

(सुग्रीब सिंह) 7/10/14
वरिष्ठ नगर नियोजक,
बीकानेर जोन बीकानेर।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका राजलदसर

E/Gopal/churu/Rathaghar/1733 partol pump

... सूर्य नगर, लालगढ़, बीकानेर–334005। ...bikaner@rediffmail.com